राज्यपाल सचिवालय, विहार
राजभवन, पटना–800022

प्रेस–विज्ञप्ति

लोकतांत्रिक संसदीय शासन व्यवस्था आधुनिक विश्व की अनूठी खोज– राज्यपाल

पटना, 18 फरवरी 2018

''बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। लोकतंत्र के वैश्विक इतिहास से स्पष्ट है कि छठी शताब्दी में सर्वप्रथम बिहार के वैशाली जनपद में ही गणतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ और वैशाली की संसद में ही लोकतंत्र की पहली वाणी गुंजित हुई थी। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में भी बिहार का इतिहास काफी पुराना एवं समृद्ध रहा है। बिहार का अतीत गौरवशाली एवं प्रेरणादायक रहा है। बिहार की वसुधा अनेक मनीषियों, चिंतकों, ज्ञान–विज्ञान, साहित्य, अध्यात्म, दर्शन एवं राजनीति के प्रणेताओं की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि रही है।'' –उक्त उद्‌गार, महामहिम राज्यपाल श्री सत्य पाल मलिक ने 'छठे भारत प्रक्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन' के समापन समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किये।

डॉ॰ अम्बेदकर को उद्धृत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि संसदीय शासन–व्यवस्था लोकतंत्र की ऐसी प्रणाली है, जिसमें सहज भाव से लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव लाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता, मजबूत विपक्ष की मौजूदगी, जनमानस की राजनीतिक परिपक्वता आदि बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता के प्रति नागरिकों और जन–प्रतिनिधियों की पूर्ण प्रतिबद्धता 'संसदीय लोकतंत्र' के लिए अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि डॉ॰ अम्बेदकर 'संसदीय लोकतंत्र' का विकास 'सामाजिक लोकतंत्र' के रूप में देखना चाहते थे। हमें संविधान–निर्माताओं के इस सपने को साकार करना है।

राज्यपाल ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रतिष्ठानों में संसद एवं विधान मंडल लोक भावनाओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। ये राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय सम्मान एवं राष्ट्रीय महत्त्व के परिचायक होते हैं। संसदीय प्रणाली को मजबूत और कारगर बनाने के लिए आवश्यक है कि समय के साथ आवश्यकतानुसार विधायी प्रक्रियाएँ एवं कार्यप्रणालियों को भी विकसित किया जाय। उन्होंने कहा कि आज संसदीय लोकतंत्र के सामने सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बढ़ती हुई जन–आकांक्षाओं को समय–सीमा के अंदर किस प्रकार पूरा किया जाय तथा जनता और जन–प्रतिनिधियों के बीच संवाद की निरंतरता को कैसे बहाल रखा जाए। ऐसी परिस्थिति में विधानमंडलों और उनके सदस्यों के साथ जनता के अन्तर–सम्पर्क को मजबूत करना आवश्यक हो गया है।

राज्यपाल ने बिहार विधान सभा की एक अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि बिहार विधान सभा ने मौजूदा विधायी जरूरतों और राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए 'बिहार विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली' में –नियम 109 (क) के रूप में विगत वर्ष यह प्रावधान कर दिया है कि राज्यपाल के निदेश या परिवर्त्तित राजनीतिक परिस्थिति विशेष में सरकार चाहे तो अपने लिए बिहार विधान सभा में 'विश्वास प्रस्ताव' ला सकती है।

लगातार....पृष्ठ...2 पर

वस्तुतः 'लोकसभा कार्य–संचालन नियमावली' या विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं की संचालन–नियमावलियों में 'अविश्वास प्रस्ताव' प्रस्तुत करने का ही उल्लेख है। परन्तु हाल के दिनों में गठबंधन सरकारों के दौर में राज्यपालों द्वारा 'विश्वास मत' प्राप्त किए जाने का निदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री को मिलता है। वस्तुतः अबतक विश्वासमत प्राप्त करने का कोई प्रावधान 'कार्य–संचालन नियमावली' में नहीं रहने से थोड़ी प्रावधानिक असुविधा होती थी, जिसके मद्देनजर बिहार विधान सभा ने अब अपनी 'संचालन नियमावली' में नियम 109 (क) के जरिये सरकार द्वारा 'विश्वास प्रस्ताव' प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था कर इस प्रावधानिक समस्या से मुक्ति पा ली है। राज्यपाल ने कहा कि बिहार के विधायक वर्ष में एक बार 'रक्तदान शिविर' का भी आयोजन विधान मंडल परिसर में करते हैं और शताधिक विधायक हर वर्ष अपना 'रक्त–दान' करते हैं। सामाजिक कल्याण और उपकार के कार्यों में सीधी सहभागिता का यह अनुपम दृष्टांत है। राज्यपाल ने कहा कि लोकतांत्रिक संसदीय शासन व्यवस्था आधुनिक विश्व की अनूठी खोज है। उन्होंने कहा कि जनहित में सांसदों और विधायकों को सदन में प्राप्त अपने हर वैधानिक अधिकार का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने सदन में सरकार से खूब सवाल पूछते रहने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे जनतंत्र मजबूत होता है। उन्होंने विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता के दौर के अपने कई राजनीतिक अनुभवों को भी साझा किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत प्रक्षेत्र की सभापति एवं लोकसभा की माननीया अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका –लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को अपनी पूरी मर्यादा के साथ अपनी–अपनी सीमाओं में रहते हुए एक–दूसरे का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने सतत् और स्थायी विकास के प्रति सांसदों एवं विधायकों की पूर्ण प्रतिबद्धता को बेहद जरूरी बताया। श्रीमती महाजन ने कहा कि छठे भारत प्रक्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में अत्यन्त सार्थक चर्चाएँ हुई हैं। उन्होंने बिहार की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ की भूमि जनतंत्र और ज्ञान की जननी रही है। उन्होंने कहा कि बोधगया की प्रसिद्धि बौद्ध धर्म को लेकर पूरे विश्व में है।

समापन–कार्यक्रम में बोलते हुए बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इस सम्मेलन में बेहतर आतिथ्य के लिए हरसंभव प्रयास किये गये थे।

कार्यक्रम में सी॰पी॰ए॰के महासचिव श्री अकबर खान ने भी अपने विचार विस्तार से रखे। समापन–समारोह में धन्यवाद–ज्ञापन बिहार विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति मो॰ हारून रशीद ने किया। समारोह में सी॰पी॰ए॰ कार्यकारिणी समिति की सभापति श्रीमती एमिलिया मोंजोवा लिफाका सहित विभिन्न प्रान्त के विधायी निकायों के अध्यक्ष, सभापतिगण, लोकसभा व राज्यसभा के पदाधिकारीगण, विधायी निकायों के सचिवगण, बिहार के मंत्रीगण, विधायकगण, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ बिहार शाखा के सदस्यगण आदि भी उपस्थित थे।

.....